

602

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: एफ.2(30)नविवि/3/2016पार्ट

जयपुर, दिनांक:-

20 MAY 2017

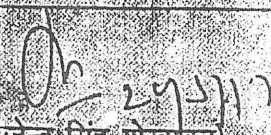
आवेश

मुख्यमन्त्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत आसजन की समस्याओं को त्वरित निपटारा हेतु विभिन्न प्राधिकरण/न्यासों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन जो निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मार्गदर्शन का बिन्दु	विभाग का मार्गदर्शन
1	नगरपालिका जिन एव इको सस्टेनेबल जिन में में 1 खंडहर से ज्यादा भूखण्ड पर मैरिज गार्डन अनुमति करने के संबंध में।	विभागीय आदेश दिनांक 27.04.2017 द्वारा पूर्व में ही अनुज्ञेय किया जा चुका है।
2	अवाप्त भूमि जिनका अवार्ड जारी किया जा चुका है व मुआवजा न्यायालय में जमा करा दिया गया है। ऐसे भूमि पर 60 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो गया है। भूमि का नियमन किया जावे अथवा नहीं।	राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही विभागीय आदेश दिनांक 02.11.2007 में अवाप्त भूमि पर 50 प्रतिशत निर्माण को प्रकरणों में निम्न की शक्तियां संबंधित नगरीय निषेध को दी गई तदनुसार कार्यवाही की जाए।
3	जिन योजनाओं में अवाप्त भूमि का मुआवजा मुदतान नहीं किया गया है व कब्जा भी प्राप्त नहीं किया है। ऐसे प्रकरणों में 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने पर विचार किया जावे।	विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.04.2017 में यह प्रावधान पहले से ही है।
4	की होल्ड लीजडीड का प्रारूप निर्धारित किया गया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	दिनांक 17.06.1999 से पूर्व के प्रकरणों में भी अधिसूचना संख्या 5 प्रतिशत मुदत के आदेश जारी किया गया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	अनुमति प्राप्त/जनपालिका की भूमि सामान्य पत्रा के इकरारनाम से विक्रय सेन पर पट्टे जारी किया जा सकता है अथवा नहीं।	शहरी क्षेत्रों में एस.सी./एस.टी. जमीनों पर कालोनी बस चुके हैं। इकरारनाम के आधार पर बेचान हुआ है। तो ऐसी स्थिति अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व या बाद की कालोनियों में राजस्थान भू-संपादन अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर नियमित किया जा सकता है।

7	गैर खातेदारी भूमि तथा अप्रजिकृत दस्तावेज से कय की गयी भूमि का नियमन किया जा सकता है अथवा नहीं।	गैर खातेदारी भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह खातेदारी का अधिकार नहीं है। अप्रजिकृत दस्तावेज से कय की गयी भूमि का नियमन कर पट्टा जारी किये जाने का उल्लेख विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2017 में स्पष्ट है।
8	भूखण्ड के नियमन हेतु सड़क का मार्गाधिकार 30 फीट रखा जाना आवश्यक है। पूर्व में 30 फीट से कम चौड़ी सड़क पर पट्टे दिये हुये हैं, उस स्थिति में 30 फीट से कम सड़क होने पर पट्टे दिये जा सकते हैं या नहीं।	विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2017 में स्पष्ट उल्लेख है कि सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 30 फीट रखी जावे। जिन योजनाओं में पूर्व में 30 फीट से कम चौड़ी सड़क पर पट्टे जारी किये जा चुके हैं, उसमें पूर्वानुसार सड़क को चौड़ा रखते हुए पट्टे दिये जा सकते हैं। आदेश दिनांक 25.04.2017 में यह स्पष्ट किया हुआ है।
9	प्रजिकृत दस्तावेज के आधार पर नाम परिवर्तन के प्रकरणों में मौके पर सेटबैक में निर्माण होने पर नाम परिवर्तन किया जावे अथवा नहीं।	समय समय पर जारी आदेशों में यह स्पष्ट किया हुआ है कि नाम हस्तान्तरण/पट्टा भूखण्ड का दिया जाता है, इससे निर्माण का नियमन नहीं होता है। अतः नाम हस्तान्तरण अथवा पट्टा जारी करते समय उक्त उल्लेख करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.05.2017 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार कार्यवाही की जावे।
10	30 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर पुरानी स्वीकृति के परवाह सेटबैक में निर्माण होने पर शास्ति ली जावे अथवा नहीं।	30 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में परिवर्तित सेटबैक में निर्माण स्वीकृति पर ही लागू है पूर्व में तत्समय प्रचलित नियमों के आधार पर दी गयी स्वीकृति पर यह प्रावधान प्रभावी नहीं है।
11	राजकीय भूमि पर 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल के आवासों के नियमन नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं परन्तु न्यास की अवाप्तशुदा योजना में मौके पर निर्माण होने के कारण नियमन की कार्यवाही की जावे अथवा नहीं।	अवाप्तशुदा भूमियों पर मौके पर निर्माण होने की स्थिति में विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के तहत नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।

12	दिनांक 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण होने की स्थिति में नियमन कर पट्टा जारी किया जा सकता है। अतः निर्माण को प्रभावित किया जावे।	निर्माण से अभिप्रायः आवास जिसमें पानी एवं बिजली का कनेक्शन हो।
13	बी.जे.एस.कालोनी में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 27.10.2007 के अनुसार नियमन राशि व विकास शुल्क की छूट दिनांक 31.03.2008 तक प्रभावित थी। उत्पन्न अवधि नहीं बढ़ायी गयी है क्या इस कालोनी में पट्टा जारी किया जा सकता है।	विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2017 के अनुसार कार्यवाही की जावे।
14	किरीडी व्यक्तियों को गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवंटन पत्र जारी किये जाने के समय नाबालिग था परन्तु वर्तमान में बालिग है क्या उसके नाम पट्टा जारी किया जा सकता है।	जी हां। वर्तमान में आवंटनी बालिग है तो पट्टा जारी किया जा सकता है।
15	भूखण्डों पर निर्माण होने की स्थिति में भूखण्ड के स्वामित्व हेतु पट्टा दिया जा सकता है, क्योंकि यह केवल भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है ना कि निर्मित भवन का नियमितिकरण क्या यह निर्दिष्ट नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में भी लागू है।	जी हां। नाम हस्तान्तरण भी भूखण्ड के स्वामित्व का दस्तावेज है। अतः यह प्रावधान नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों पर भी लागू है। इसके अतिरिक्त यदि स्ट्रीप ऑफ लैंड हेतु आवंटन प्राप्त होता है तथा मूल भूखण्ड पर भवन निर्मित है तो स्ट्रीप ऑफ लैंड का आवंटन किया जा सकता है क्योंकि इससे निर्मित भवन का नियमितिकरण नहीं होता है। यह उल्लेख आवंटन पत्र में किया जा सकता है।
16	योजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आ रही है तो आवंटन नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है क्या इससे आवंटन पर प्रभाव पड़ेगा आदि की भूमि भी शामिल है।	विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.05.2017 के बिन्दु संख्या 6 में सरकारी भूमि से आशय विधायक से है। अतः अन्य विभागों की अथवा अथवा भूमि इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं है।


 (राजेन्द्र सिंह शिववस्तु)
 संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है—

- (1) विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्थायत्त शासन विभाग।
- (2) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- (3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्थायत्त शासन विभाग।
- (4) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
- (5) सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
- (6) समस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास।
- (7) निदेशक, स्थायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
- (8) संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (9) वरिष्ठ संयुक्त विशिष्ट प्रसन्नरी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (10) अतिरिक्त मुख्य नगर नियामक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (11) वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग का प्रभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- (12) उप विधि प्रशासक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (13) रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम